न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 21 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. जाम खां पुत्र मुईब खां 2. लूंगा खां पुत्र मुईब खां 3. ईशाक खां पुत्र मुईब खां 4. चिनेशर पुत्र मौलाणा खां 5. गुलु खां पुत्र हलीम खां जाति मुसलमान निवासी गंगाला तहसील रामसर जिला बाड़मेर (राज.)	बनाम	1.श्रीमती हनीफों पत्नी जाम खां 2.नसीर खां पुत्र इब्राहम खां 3.हलीम खां पुत्र अलकु खां जाति मुसलमान निवासी गंगाला तहसील रामसर जिला बाड़मेर (राज.) 4.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रामसर जिला बाड़मेर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/2015 बअनवान श्रीमती हनीफों बनाम जाम खां वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री राणाराम गौड़ रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 23.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण एवं उतरदातागण संख्या 02 व 03 की संयुक्त खातेदारी के खेत ग्राम गंगाला तहसील रामसर में खसरा संख्या 333 रकबा 165.29 बीघा, खसरा संख्या 427/43 रकबा 91.08 बीघा आये हुए है। उतरदाता संख्या 01 ने अपीलांट संख्या 01 के साथ लगभग 40 वर्ष पूर्व निकाह होना बताकर निकाह के समय मेहर के रूप में 02 हल साठीकड़ यानि 12 बीघा भूमि मेहर के रूप में अदा करना बताया। मेहर के रूप में प्राप्त 12 बीघा भूमि अर्थात खसरों की भूमि में 1/18 हिस्सा अपने पति अपीलांट संख्या 01 जाम खां के जीवनकाल में अपनी खातेदारी में घोषित करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का वाद पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण के सम्मन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 05 नियम 16 से 19 में वर्णित प्रावधानों के मुताबिक न तो विधिवत रूप से अपीलांटगण पर तामील किए गए और न हीं अपीलांटगण के रहवासी मकान पर विधिवत रूप से चस्पा किए गए। अपीलांटगण संख्या 02, 03, 05 के अंगुष्ठ निशान सम्मन पर होने बतलाए जो अंगुष्ठ निशान

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उक्त अपीलांटगण के नहीं होकर फर्जी किए गए हैं। अपीलांट संख्या 04 के पिता मृतक मौलाणा खां की तामीली होना बताकर उसके विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया गया जबकि मौलाणा खां दिनांक 07.12.2015 से पूर्व एवं उपरोक्त एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित होने से पूर्व फौत हो गया था। मुस्लिम विवाह एक से एसी संविदा है जिसका मेहर प्रतिफल है और महर के लिए किया गया अंतरण हिबा–बिल एवज प्रकृति का होता है। पति की मृत्यु के बाद मेहर के लिए विधवा का अधिकार उत्पन्न होता है और वह पति के सम्पति का कब्जा धारण करने की हकदार है और उसको विधवा का धारणाधिकार कहा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उतरदाता संख्या 01 व उसके एक गवाह सालाखां के मौखिक कथनों के आधार पर विवादित एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण के सम्मन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 05 नियम 16 से 19 में वर्णित प्रावधानों के मुताबिक न तो विधिवत रूप से अपीलांटगण पर तामील किए गए और न हीं अपीलांटगण के रहवासी मकान पर विधिवत रूप से चस्पा किए गए। अपीलांटगण संख्या 02, 03, 05 के अंगुष्ठ निशान सम्मन पर होने बतलाए जो अंगुष्ठ निशान उक्त अपीलांटगण के नहीं होकर फर्जी किए गए हैं। अपीलांट संख्या 04 के पिता मृतक मौलाणा खां की तामीली होना बताकर उसके विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया गया जबकि मौलाणा खां दिनांक 07.12.2015 से पूर्व एवं उपरोक्त एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित होने से पूर्व फौत हो गया था। मुस्लिम विवाह एक से एसी संविदा है जिसका मेहर प्रतिफल है और महर के लिए किया गया अंतरण हिबा–बिल एवज प्रकृति का होता है। पति की मृत्यु के बाद मेहर के लिए विधवा का अधिकार उत्पन्न होता है और वह पति के सम्पति का कब्जा धारण करने की हकदार है और उसको विधवा का धारणाधिकार कहा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उतरदाता संख्या 01 व उसके एक गवाह सालाखां के मौखिक कथनों के आधार पर अपीलाधीन आलोच्य एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ एवं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टात पेश किये:–

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार अपीलाधीन निर्णय को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट/वादिनी को निकाह के दौरान प्रतिवादी/अपीलांट संख्या 01 ने मेहर के रूप में लगभग दो हल साढीकड़ भूमि जो दौराने निकाह उसके पिता की खातेदारी की थी, बाद में उसके पिता मृत्युपरान्त विरासत में स्वयं को मिलने की अवस्था में देने का आश्वासन दिया था। मेहर शादी के समय भी मांगा जा सकता है और बाद में भी मांग कर प्राप्त किया जा सकता है। जिसे पत्नी सम्मान के प्रतीक के रूप में पूरा करने के लिए पति बाध्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित किया जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण के सम्मन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 05 नियम 16 से 19 के प्रावधानों के तहत तामील नहीं होने के बावजूद एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित की गई है और न्याय आपके द्वार लोक अदालत में खानापूर्ति करने के उद्देश्य से पारित की गई है। अपीलांटगण ग्रामीण, अनपढ व अंगुठा छाप व्यक्ति होने से इतने दिनों तक नहीं हो सका बल्कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 07.02.2017 को अपीलाधीन आलोच्य निर्णय का ज्ञान करवाया। अपीलांट ने दिनांक 07.02.2017 को नकल मांगी जो नकल उसी दिन प्राप्त कर तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट ने अपील पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील को पेश करने में हुई देरी के एक एक दिन का कारण स्पष्ट करना होता है जो नहीं किया गया। अपील मियाद बाहर होने से खारिज फरमाया जावे। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। वकील अपीलांट द्वारा उठाई गई आपतियों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखी गई। अपीलांट को सम्यक तामीली की स्थिति का परीक्षण करने पर उसमें विधिवत तामीली नहीं पाई गई। मुताबिक आदेशिका प्रतिवादी संख्या 01(अपीलांट संख्या 01) जामखां के नाम जारी सम्मन दो मौतबिरान के समक्ष आबाद मकान पर चस्पा होने से सम्यक तामील शुमार माना गया जबकि सम्मन पर दो मौतबिरान स्वतंत्र नहीं होकर उनमें से एक हलीम (प्रतिवादी संख्या 07) हैं। दूसरा चिनेसर, जो कि मौलाना (रेस्पोडेंट संख्या 04) का कायम मुकाम है के हस्ताक्षर बतौर मौतबिरान इस पर है जो कि स्वयं प्रतिवादी में सम्मिलित है चिनेसर स्वयं के नाम का सम्मन उसके पुत्र(नाम का विवरण नहीं दिया है) पर तामील करवाना प्रतिवेदित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण/अपीलांट को जारी सम्मनों की उन पर सम्यक तामील नहीं हुई हैं लिहाजा निर्णय एकतरफा एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक मामला रिमाण्ड योग्य ठहरता है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/2015 बअनवान श्रीमती हनीफों बनाम जाम खां वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 को निरस्त कर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्ष की सम्यक तामीली सुनिश्चित करते हुए उनहें साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देकर निर्णय पुनः पारित करे।

23/7/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner